



Centre for Electronic Governance

(Established by Government of Rajasthan)

Near Govt. R.C. Khaitan Polytechnic College, Jhalana Doongri,
Jaipur- 302004 Phone: 0141-2702344, Website: www.ceg.rajasthan.gov.in
Email: directorceg@gmail.com , mail.ceg-rj@nic.in

Letter No. CEG/1352/ Special -1

Date 22.03.2020

Office order

In the pursuance of instructions issued by the state government and in the continuation of order no प1(1)/ चिस्वा/ गुप-2/2020 dated 22.03.2020, the CEG office will remain shut down up to 31st March 2020. The above-mentioned order is attached with this letter.

All Ceg staff members must be available through phone, email or whatsapp etc and carry out the official work from home. Staff members are directed not to leave headquarter during this lockout period. No leave will be sanctioned in this duration.

Be safe, remain healthy, and take care of yourself and your family.

Sundeep Kumar
(Dr. Sundeep Kumar)
Director CEG

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)धिरवा/पुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 22.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.2020 एवं 19.03.2020 की निरन्तरता में सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 22 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएँ, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैंक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टेक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) आदि पूर्णतः बन्द रहेंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्थिति का आकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित किया जा सकेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है:-

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
2. चिकित्सा शिक्षा
3. आयुर्वेद
4. गृह (पुलिस, कारागार, गृह रक्षा, एफ. एस. एल.)
5. वित्त
6. कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन
7. बिजली (ऊर्जा)
8. पेयजल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)
9. स्वायत्त शासन (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद)
10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
11. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता
12. पंचायती राज
13. सूचना एवं जनसम्पर्क
14. सूचना प्रौद्योगिकी
15. परिवहन
16. सामान्य प्रशासन
17. स्टेट मोटर गैराज
18. विधि

इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए संबंधित विभाग के सचिव, जिला कलक्टर या संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।


Mrs

उक्त प्रतिबन्ध मीडिया/प्रेस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ, सभी प्रकार के चिकित्साकीय संस्थान (मेडिकल स्टोर सहित), औषधि एवं सर्जिकल आईटम्स के विनिर्माता, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस एजेन्सी, दूध डेयरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, किसान एवं प्रोविजनल स्टोर, मेडिकल स्टोर एवं सर्जिकल उपकरण, फल-सब्जियों की दुकानें, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस पर लागू नहीं होगा।

इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रान्स्पोर्ट, प्राइवेट बसें, टेक्सियां, आटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय (Inter State), अन्तरराज्यीय (Intra State), संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन रो घर एवं अस्पताल के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे।


बन्द के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर/आयुक्त पुलिस अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर प्रकाशित किये जावे।

उक्त आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित जावे। उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


22/03/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राज.
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
12. निजी /रक्षित पत्रायली


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव